न्यायालय सहायक कलक्टर एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ,जिला–झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 217/2025

1. मदीना पुत्री रमजान पत्नी मुस्ताक जाति काजी निवासी 96 द्वितीय फलोर गालीब अपार्टमेन्ट परवाना रोड प्रीतमपुरा न्यू दिल्ली
2. रूकसाना पुत्री रमजान पत्नी मुमताज अली जाति काजी निवासी 163 कॉलोनी वजीरपुरा अशोक विहार दिल्ली
3. बनो पुत्री रमजान पत्नी रज्जाक जाति काजी निवासी पॉच बत्ती के पास वार्ड नं. 21 उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुंनू
4. जावेद पुत्र रहीशा नाति रमजान जाति काजी निवासी पॉच बत्ती के पास वार्ड नं. 21 उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुंनू
5. तमन्ना पुत्री रहीशा नातिन रमजान
6. आलिया पुत्री रहीशा नाति रमजान समस्त निवासी पॉच बत्ती के पास वार्ड नं. 21 उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुंनू

वादीगण

बनाम

1. भंवर पुत्र रमजान
2. नवाब पुत्र रमजान
3. मुश्ताक पुत्र रमजान
4. सब्बीर पुत्र रमजान समस्त जाति काजी निवासीगण खत्री कॉलोनी मोर हॉस्पिटल के पास, नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
5. कासिम पुत्र गरिबा जाति काजी निवासी पॉच बत्ती के पास वार्ड नं. 21 उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुंनू
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढतहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
7. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नवलगढ।

प्रतिवादीगण

वादः घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अन्तवर्तिय – आदेश 07 नियम 11 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी

वकील वादी/अप्रार्थी–श्री किशोर कुमार जांगिड, श्री प्रदीप झाझडिया
वकील प्रतिवादी/प्रार्थी –श्रीदयाराम सैनी

आदेश

दिनांक 12.12.2025

प्रतिवादी सं. 1, 3/प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अ. आदेश 07 नियम 11 सीपीसी तथा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि, वादीयागण ने उपरोक्त उनवानी [illegible] भूमि खसरा नम्बर 1783, 1784, 1785, 1801, 1812 कुल किता 5 कुल रकबा 1.25 हैक्टर [illegible] गोरियों की ढाणी में अपना हिस्सा 1/8–1/8 दर्ज करके खातेदारी की [illegible] चाही है तथा [illegible] भूमि सिर्फ अलादीन पुत्र वजीर द्वारा खरीदना बता रही है। जबकि उक्त भूमि [illegible] की संयुक्त [illegible] खरीदी गई भूमि है, जिसमें अलादीन, रमजान, मुस्ताक, भंवर अली प्रत्येक का हिस्सा 1/4–1/4 [illegible] जो विक्रय–पत्र दिनांक 23.02.1967 से स्पष्ट है। यानि कि अलादीन व रमजान का हिस्सा 1/2 में से वादीयागण अपना हिस्सा कानूनन मुस्लिम विधि अनुसार क्लेम कर सकती है। इसलिये उक्त दावा कानून

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:34:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ

विरूद्ध, दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने से आगे चलने योग्य नहीं प्रथम दृष्टया ही खारीज होने योग्य है, जिसे इसी स्तर पर खारीज फरमाया जाना न्यायोचित है। यह कि वादीयागण ने गलत रूप से अलादीन की क्रयशुदा भूमि बताकर वादग्रस्त भूमि में सभी वारीसान का बराबर हिस्सा मानकर दावा पेश किया है, जबकि न तो वादग्रस्त भूमि अलादीन अकेले की खरीदशुदा भूमि है तथा न ही हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम वादीयागण पर लागू होता है, वादीयागण मुस्लिम विधि के अनुसार अपने हिस्से का क्लेम करने का दावा पेश करना चाहिये था तथा प्रार्थी मुस्ताक, भंवर अली द्वारा विक्रय–पत्र दिनांक 23.02.1967 के द्वारा 1/2 हिस्सा खरीदशुदा है, इसलिये उक्त खरीदशुदा सम्पति में कोई भी व्यक्ति या वारीस इनके जीवनकाल में अपना हिस्सा क्लेम नहीं कर सकता है। वादीयागण ने गलत व विधि विरूद्ध दावा पेश करने के कारण प्रथम दृष्टया ही अं. आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारीज होने योग्य है। यह कि वादीयागण ने इस दावे से पहले भी रुकसाना वगैरह बनाम भंवर वगैरह उनवानी दावा व प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया, जिसमें अन्तरिम स्थगन नहीं मिलने पर पुनः एक नया दावा पेशकर स्थगन आदेश मिलने के बाद पूर्व में पेश रूकसाना वगैरह बनाम भंवर वगैरह उनवानी दावा व प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज करवा लिया और जवाबदेहन्दा को हैरान परेशान करने के लिये यह दावा पेश कर दिया व अंतरिम स्थगन ले लिया, जो पूर्ववति व पश्चातवर्ती वाद के सिद्धान्तो के विपरीत है। पूर्व में पेश रूकसाना वगैरह बनाम भंवर वगैरह उनवानी दावा व प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के विचाराधीन रहते हुये दुबारा उसी प्रकृति का दावा कानूनन विधि विरूद्ध है, जो अं. आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारीज होने योग्य है, जिसे खारीज फरमाया जावें। यह कि वादीयागण ने इससे पूर्व रूकसाना वगैरह बनाम भंवर वगैरह उनवानी दावा व प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष झुठा वादकारण दर्ज करके प्रस्तुत किया, उसमें स्थगन नहीं मिलने के कारण से उसके विचाराधीन रहते यह दुसरा दावा उसी वादकारण को दर्ज करके पेश कर दिया व स्थगन ले लिया तथा पूर्व में विचाराधीन दावे उनवानी रुकसाना वगेरह बनाम भंवर वगैरह को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज करवा लिया, इससे स्पष्ट है कि वादीयागण को दावा करने के लिये कोई वादकारण पैदा नहीं हुआ, वादीयागण झुठी कहानी बनाकर वादकारण दर्ज कर दावा पेश किया है, जो चलने योग्य नहीं अं. आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारीज होने योग्य है। यह कि वादीयागण ने सम्पूर्ण दावे में अपना 1/8–1/8 हिस्सा दर्ज करके व वादग्रस्त भूमि सिर्फ अलादीन की खरीदशुदा बताकर झुठा दावा पेश किया है व प्रार्थीगण के खिलाफ स्थगन ले रखा है। वादीयागण वादग्रस्त भूमि में अलादीन, रमजान के हिस्से 1/2 में से अपना हिस्सेनुसार कानूनन क्लेम करने के स्वतंत्र है, परन्तु गलत हिस्से दर्ज करके गलत दावा पेश कर प्रार्थीगण के विरूद्ध स्थगन प्राप्त कर प्रार्थीगण को उनके कानूनी हक अधिकारो वे महरूम करने का अधिकार वादीयागण को नहीं है। वादीयागण का सम्पूर्ण दावा अस्पष्ट है। दावा कानून के विरूद्ध व दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने से प्रथम दृष्टया ही खारीज होने योग्य है, जिसे इसी स्तर पर खारीज फरमाया जाना न्यायोचित है। अतः प्रा. पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि, प्रार्थीगण का उक्त प्रा. पत्र अ.आदेश 07 नियम 11, 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर उक्त दावा इसी स्तर पर मय हर्जा खर्चा खारीज किया जावे।

प्रतिवादी सं. 1 व 3 की और से पेश उक्त प्रा. पत्र की नकल वकील वादी का दी जाकर जवाब तलब किया गया। वादी पक्ष की और से जवाब निम्न प्रकार से पेश किया गया :– प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 गलत होने से अस्वीकार है। खसरा नम्बर 1783, 1784, 1785, 1801, 1812 कुल किता 5 कुल रकबा 1.25 है० ग्राम बागोरियां की ढाणी में हिस्से बाबत क्लेम करना लिखा है जो कानूनी रूप से क्लेम किया गया है। दावा कोनसे कानून के विरूद्ध दर्ज किया गया है इसका कोई उल्लेख प्रार्थना पत्र में दर्ज नही किया गया है। यह कि प्रार्थना पत्र की धारा 2 जिस प्रकार से दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है। वाद पत्र अलादीन की अकेले की भूमि मानकर दावा पेश नही किया गया है बल्कि अलादीन व उसके वारिसान के संयुक्त परिवार की सम्पति मानकर दावा पेश किया गया है। वादीगण व प्रतिवादीगण अलादीन के वारिसान है जिनको अपने हिस्से में आई भूमि प्राप्त करने का अधिकार कानूनन प्राप्त है। वादीगण के हिस्से को दावा में साक्ष्य ग्रहण करके ही तय किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र की धारा 3 जिस प्रकार से दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है। वादी को अपना हिस्सा व अधिकार के लिए दावा पेश करने का पूर्ण अधिकार है। पूर्व में प्रस्तुत वाद अदम हाजरी में खारिज हुआ है वादीगण का हिस्सा पूर्व में तय नही हुआ है ना ही वाद में चाही गई सिद्धी को अंतिम निर्णित किया हुआ है। प्रार्थना पत्र की धारा 4 जिस प्रकार से दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है। पूर्व का वाद अदम हाजरी में खारिज हो जाने से वाद कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:34:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट। (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

समाप्त नही होता है। यह कि प्रार्थना पत्र की धारा 5 जिस प्रकार से दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है। इस मद में पूर्व के मदो के तथ्यों की ही पुनरावृति की गई है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी आधारहीन व कानूनी प्रावधानो के विपरीत पेश किया गया है।यह कि अं. आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के किसी भी क्लॉज से संबंधित कोई तथ्य इस प्रार्थना पत्र में दर्ज नही किय गये है। यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का निर्णय इस अति प्राथमिक स्तर पर होना संभव नही है बल्कि लिखित कथन पेश करने के पश्चात तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य प्रस्तुत करके ही गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जा सकता है। जहाँ पर तथ्यों व साक्ष्य के मिश्रीत प्रश्न तैय किये जाने हो वहां पर गुणावगुण पर ही निर्णय पारित किये जा सकते है।अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अं. आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को खारिज फरमाया जावें।

वकील उभय पक्ष द्वारा बहस प्रा. पत्र पेश करने पर बगौर सुनी गई। वकील प्रतिवादी/प्रार्थी ने अपने प्रा. पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तथा कथन किया की विवादित भूमि संयुक्त परिवार की सम्पत्ति नही है तथा वाद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अथवा मुस्लिम विधि के तहत पेश किया जो स्पष्ट नही किया है। मुस्लिम विधि में पुत्री को पुत्र के बराबर नही मिलेगा। मुस्लिम विधि में हिन्दू उत्तराधिकार कानून लागू नही होगा। वाद विधि द्वारा वर्जित है, पहले वाद चला उसको री–स्टोर करवाया जा सकता था। इसलिये यह प्रा. पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अपनी दलिलों के समर्थन में वकील प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की अपील नं. 67/गंगानगर 75 उनवानी करीम बक्स बनाम सुलेमान निर्णय दिनांक 22.12.1976 तथा अपील/टीए/8269/2012/भरतपुर उनवानी दीना बनाम मु. खातुनी निर्णय दिनांक 12.09.2018 बतौर नजीर पेश कियागया।

वकील वादी/अप्रार्थी ने अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुये तथा कथन किया की वाद पेश किया तो वाद हेतुक दर्ज है, दावे मे हक अधिकार तय होने है। दावे मे जवाब व साक्ष्य आने पर तय होना है,प्रकरण के इस स्तर पर प्रा. पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का कोई औचित्य नही है। इसलिये उक्त प्रा. पत्र खारीज योग्य है। खारीज किया जावे।

विद्वान वकुलान फरीकेन द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विवादित भूमि में अपना हिस्सा 1/8–1/8 की खातेदारी घोषणा के अनुतोष से चाही है। वाद में भूमि सिर्फ अलादीन द्वारा खरीदना बताकर पेश किया गया है, जबकि विवादित भूमि अलादीन, रमजान, मुस्ताक, भंवर अली की संयुक्त रूप से खरीदी गई है। जिसमे प्रत्येंक का 1/4–1/4 हिस्सा मुताबिक विकय पत्र 23.02.1967 से जाहिर है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में चाहा गया अनुतोष किस आधार पर दिया जावे स्पष्ट वर्णित नही किया है। वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत चाहा गया है अथवा मुस्लिम विधि के तहत, स्पष्ट नही किया है। वादीगण द्वारा अपना दावा वादग्रस्त भूमि में सभी वारीसान का बराबर हिस्सा मानकर पेश किया है, जबकि न तो वादग्रस्त भूमि अलादीन अकेले की खरीदशुद्वा है। मुताबिक विकय पत्र दिनांक 23.02.1967 के द्वारा 1/2 हिस्सा मुस्ताक अली, भंवर द्वारा खरीदशुद्वा है। इसलिये उक्त खरीदशुद्वा सम्पति में कोई व्यक्ति या वारीस इनके जीवन काल में हिस्सा किस कानून के तहत प्राप्त करने का अधिकारी है, वर्णित नही किया है।

लिहाजा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित, दस्तावेजी साक्ष्यों के विरूद्व तथा स्पष्ट कथन के साथ पेश नही होने से खारीज योग्य है। इसलिये प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रा. पत्र आदेश 07 नियम 11,151 सीपीसी पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वाद इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। वाद खारीज की डिक्री पृथक से जारी की जावे। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें। निर्णय/आदेश आज दिनांक 29 का मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:34:30 IST
Reason: SelfAttested

(सुशील कुमार सैनी)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) नवलगढ,जिला–झुझुंनू

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा।

मुकदमा सं0:– 217/2025 **(मदिना बनाम भंवर आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 12.12.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित दस्तावेजी साक्ष्यों के विरूद्व तथा स्पष्ट कथन के साथ पेश नही हेने से खारीज योग्य है। इसलिए प्रतिवादी/ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रा0 पत्र आदेश 07 नियम 11, 151 सीपसी पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वाद इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। वाद खारीज की डिक्री पृथक से जारी की जाती है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 12.12.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मजिस्ट्रेट, फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:34:30 IST
Reason: SelfAttested